

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

1

क्रमांक	फर्द अहकाम	तारीख
	<p>मु.नं० 05 / 15 तारीख 24.3.15</p> <p>उगवान - चार्म सिंह बनाम मिश्रया वगै० बसंतनगर</p> <p>प्रार्थना पत्र अस्पार्थी निषेधाज्ञा</p> <p>प्रार्थी की ओर से जाकिर खान A-40 ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्पार्थी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का ठान लौकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज बजिस्टर कर अस्पार्थी गण को नोटिस से तलब कर दिनांक 08.4.15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	<p>21.2.15</p> <p>467-668 26.3.15</p>
8.4.15	<p>प्रार्थी वकील उप०। अपार्थी बाबजूद सूचना उप० नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वैसे बहस दिनांक 8.5.15 को पेश हो।</p>	<p>21.8.15</p>
8.5.15	<p>प्रार्थी वकील उप०। प्रार्थी मिश्रया उप०। श्री रामवतपु शर्मा A-40 ने अपार्थी प्रार्थी के ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया वरुन वकालतनामा व-द. 09 R) पेश करते समय पाहा। दिनांक 13.5.15 को पेश हो।</p>	<p>13.5.15</p>

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टो

दिनांक	फर्द अहकाम
13.5.15	<p>प्राची वकील उप। प्राची नं. 1 व 2 की ओरसे श्री सुवेश फर्द शम। Adv. ने ककालतनामा खंड 0987 C.P. केस की। गजलत वारी वकील को दिलाई गई। वास्तु जखब पर दिनांक 17-8-15 को पेश हो।</p>
23.7.15	<p>पत्रावली गजलत तारीख पेशीसे पेश हुई। ककुलाय उप। गताउत्पु दिनांक 25.8.15 को पेश हो।</p>
25.8.15	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उपस्थित नहीं। कई बार भाषाज दिलाई गई। फिर भी प्राची वकील व प्राची गण से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्राची पत्र आस्थाई सिधेधाना अदम हाजिरी अदम चैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल इमार होका नम्बर से काम होका दावा पत्रावली के साथ संलग्न है।</p>

मूलमा 21/1

मिनामा

उप जिला कलेक्टर
बेदाभीम (करीला)